भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1042

जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

खान प्रहरी एप

1042. श्री पी.पी.चौधरी:
श्री प्रताप चन्द्र षडङ्गी:
श्री संगम लाल गुप्ता:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान प्रहरी एप अभी भी क्रियाशील है;

(ख) यदि हां, तो इसके माध्यम से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्यों सहित राज्य-वार अब तक पंजीकृत अवैध कोयला खनन की रिपोर्ट की संख्या क्या है;

(ग) क्या इन रिपोर्टों के आधार पर कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख) : खनन प्रहरी मोबाइल एप क्रियाशील है। खनन प्रहरी मोबाइल एप के माध्यम से कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की कुल संख्या 462 है, जिनमें से सत्यापन के बाद 77 शिकायतें सही पाई गईं। सीएमएसएमएस पोर्टल पर पंजीकृत शिकायतों की राज्य-वार स्थिति अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) : सीएमएसएमएस पोर्टल पर दर्ज सत्यापित शिकायतों पर कोयला कंपनियों और राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है। अभी तक, 77 मामले ऐसे हैं जिनमें कार्रवाई की गई है।

****

अनुबंध-1

जनवरी, 2023 तक सीएमएसएमएस शिकायतों की स्थिति				
राज्य	**सत्यापित गलत शिकायतें**	**सत्यापित सही शिकायतें**	**असत्यापित शिकायतें**	**कुल योग**
असम	1	3		4
गैर-सीआईएल	1	3		4
छत्तीसगढ़	16		8	24
एसईसीएल	10			10
गैर-सीआईएल	6		8	14
झारखंड	44	28	14	86
बीसीसीएल	23	2		25
सीसीएल	2	14		16
ईसीएल	18	12		30
गैर-सीआईएल	1		14	15
मध्य प्रदेश	10		43	53
एनसीएल	3		8	11
एसईसीएल	3			3
गैर-सीआईएल	4		35	39
महाराष्ट्र	2		10	12
डब्ल्यूसीएल	2			2
गैर-सीआईएल			10	10
ओडिशा	3		3	6
एमसीएल	1			1
गैर-सीआईएल	2		3	5
उत्तर प्रदेश	3			3
एनसीएल	3			3
पश्चिम बंगाल	172	46	56	274
बीसीसएल	1			1
ईसीएल	170	46		216
गैर-सीआईएल	1		56	57
कुल योग	**251**	**77**	**134**	**462**